



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939

No. 315]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/ VAISAKHA 5, 1939

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

सा.का.नि.404(अ).— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम, 2017 है।
(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 68अ में,-
(क) उप-पैरा (2) का लोप होगा;
(ख) उप-पैरा (3) के परंतुक का लोप होगा;
(ग) उप-पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
"(6) उप-पैरा (1) या उप-पैरा (3) के अधीन सदस्य को कोई अग्रिम अनुदत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उसके प्रभाव में स्व-घोषणा प्रस्तुत न करे।"
- उक्त स्कीम में पैरा 68ड के उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-
"(2) उप-पैरा (1) के अधीन सदस्य को कोई अग्रिम संदत्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उसके प्रभाव में स्व-घोषणा प्रस्तुत न करे।"

[फा. सं. एस-35012/02/2017-एसएस-II]

आर.के.गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक का.नि.आ. 1509, तारीख 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सा.का.नि. 351(अ) तारीख 12 अप्रैल, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2017

G.S.R.404(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) The scheme may be called the Employees' Provident Funds (Fifth Amendment) Scheme, 2017.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 68J,-

(a) sub-paragraph (2) shall be omitted;

(b) proviso to sub-paragraph (3) shall be omitted;

(c) for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely;-

“(6) No advance shall be granted to the member under sub-paragraph (1) or sub-paragraph (3) unless he produces a self-declaration to that effect.”.

3. In the said Scheme, in para 68N, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(2) No advance shall be paid to the member under sub-paragraph (1) unless he produces a self-declaration to that effect.”.

[F. No. S-35012/02/2017-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note:- The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub Section (i) *vide* notification number SRO.1509, dated the 2nd September, 1952 and was lastly amended *vide* notification No. G.S.R. 351(E) dated the 12th April, 2017.